तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/7998/2006/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बंशीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्रीमती नीतू शेखावत, उप राजकीय अधिवक्ता।
अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 15.12.2025

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 07.03.1998 द्वारा माननीय मंडल न्यायालय को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जायल ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी मिसल बंदोबस्त् संवत् 2006 के अनुसार खसरा संख्या 233 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि मंदिर श्री बंशीवाला के खाते में अंकित है। संवत् 2006 के पश्चात् बंदोबस्त् अभिलेख संवत् 2020 में बना। बंदोबस्त् की कार्यवाही के दौरान खसरा संख्या 233 का नया खसरा संख्या 286 बना जिसका रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दर्शाया गया है। खतौनी जमाबंदी बंदोबस्त् के अनुसार खसरा संख्या 286 गोरधन, बिरदीचंद पि0 भीवराज कौम ब्राह्मण की खातेदारी में अंकित हो गया। कालांतर में यह भूमि गंगाकिशन पुत्र आईदान कौम ब्राह्मण साकिन जायल के खाते में खातेदार के रूप में अंकित हुई और उनसे जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र यह भूमि बंशीलाल पुत्र हरदीनराम माली ने खरीदी। यह विवरण ग्राम बोडियन्दखुर्द के नामांतकरण संख्या 84 से स्पष्ट होता है। सवंत् 2047 से 2050 की जमाबंदी में इस भूमि के खसरा संख्या 286 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर वर्तमान अप्रार्थी बंशीलाल पुत्र हरदीनराम की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान में भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध होने से खारिज योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/7998/2006/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बंशीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार, मूर्ति अल्प व्यस्क में निहित है। अतः अप्रार्थी के नाम हुई उक्त खातेदारी को निरस्त कर उक्त आराजी पुनः मंदिर श्री बंशीवाला के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। न्यायालय भू–प्रबंध आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.1998 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि खतौनी मिसल बंदोबस्त् संवत् 2006 के अनुसार खसरा संख्या 233 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि मंदिर श्री बंशीवाला के खाते में अंकित है। संवत् 2006 के पश्चात् बंदोबस्त् अभिलेख संवत् 2020 में बना। बंदोबस्त् की कार्यवाही के दौरान खसरा संख्या 233 का नया खसरा संख्या 286 बना जिसका रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दर्शाया गया है। खतौनी जमाबंदी बंदोबस्त् के अनुसार खसरा संख्या 286 गोरधन, बिरदीचंद पि0 भीवराज कौम ब्राह्मण की खातेदारी में अंकित हो गया। कालांतर में यह भूमि गंगाकिशन पुत्र आईदान कौम ब्राह्मण साकिन जायल के खाते में खातेदार के रूप में अंकित हुई और उनसे जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र यह भूमि बंशीलाल पुत्र हरदीनराम माली ने खरीदी। यह विवरण ग्राम बोडियन्दखुर्द के नामांतकरण संख्या 84 से स्पष्ट होता है। सवंत् 2047 से 2050 की जमाबंदी में इस भूमि के खसरा संख्या 286 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर वर्तमान अप्रार्थी बंशीलाल पुत्र हरदीनराम की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि विवादित भूमि पूर्व में मंदिर श्री बंशीवाला की खातेदारी में दर्ज थी जिसे बाद में बिना किसी आधार व आदेश के मंदिर श्री बंशीवाला के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हुई है, जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7998/2006/नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम बंशीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी पुनः मंदिर श्री बंशीवाला के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी मिसल बंदोबस्त् संवत् 2006 के अनुसार खसरा संख्या 233 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि मंदिर श्री बंशीवाला के खाते में अंकित है। संवत् 2006 के पश्चात् बंदोबस्त् अभिलेख संवत् 2020 में बना। बंदोबस्त् की कार्यवाही के दौरान खसरा संख्या 233 का नया खसरा संख्या 286 बना जिसका रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दर्शाया गया है। खतौनी जमाबंदी बंदोबस्त् के अनुसार खसरा संख्या 286 गोरधन, बिरदीचंद पि0 भीवराज कौम ब्राह्मण की खातेदारी में अंकित हो गया। कालांतर में यह भूमि गंगाकिशन पुत्र आईदान कौम ब्राह्मण साकिन जायल के खाते में खातेदार के रूप में अंकित हुई और उनसे जरिए रजिस्टर्ड बेचान पत्र यह भूमि बंशीलाल पुत्र हरदीनराम माली ने खरीदी। यह विवरण ग्राम बोडियन्दखुर्द के नामांतकरण संख्या 84 से स्पष्ट होता है। सवंत् 2047 से 2050 की जमाबंदी में इस भूमि के खसरा संख्या 286 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर वर्तमान अप्रार्थी बंशीलाल पुत्र हरदीनराम की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि विवादित आराजीयात खतौनी मिसल बंदोबस्त् संवत् 2006 के अनुसार खसरा संख्या 233 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि मंदिर श्री बंशीवाला के खाते में अंकित थी तथा वर्तमान सेटलमेंट के अनुसार विवादित आराजीयात अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जो अनुचित एवं अवैध है। चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी मंदिर श्री बंशीवाला की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7998/2006/नागौर** **राजस्थान सरकार बनाम बंशीलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः मंदिर श्री बंशीवाला की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 286 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर वर्तमान अप्रार्थी बंशीलाल पुत्र हरदीनराम को दी गई खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः मंदिर श्री बंशीवाला की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	